(2)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा

क्रमांकः– राजस्व / 2020 / 1428 दिनांक 27/10/2020

–: आदेश :–

प्रार्थी स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति उप समिति आर्दश विद्याा मन्दिर पिड़ावा तहसील पिड़ावा द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल मायाखेडी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 0.3794 खाते दर्ज है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार पिड़ावा से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंम्बर 85 प्रार्थी के खाते दर्ज है। DILRMP योजना के तहत नक्शा शीट में तरमीम होने के बाद नक्शे में ख.नं. 83 के बजाय 85, ख.नं. 85 के बजाय 83 अंकित कर दिया गया जो कि शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जिस बाबत तहसीलदार पिडावा द्वारा तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थी के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार पिड़ावा, पटवारी मायाखेडी की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के खसरा नं. 85 की जगह ख.नं. 83 व खसरा नं. 83 की जगह ख.नं. 85 नक्शा शीट में तरमीम शुद्ध किये जाने की आज्ञा एद्द द्वारा प्रदान की जाती है।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांकः– राजस्व / 2020 / 1429-30 दिनांक 27/10/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:–

1. तहसीलदार पिड़ावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु।
2. प्रार्थी स्वामी विवेकानन्द शिक्षा समिति उप समिति आर्दश विद्याा मन्दिर पिड़ावा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.10.27 12:46:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner